05.08.22	<u>**जेठीदेवी बनाम सरकार**</u> अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—02—2021 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अपील के साथ संलग्न अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् के धारण की भूमि को सिलिंग सीमा अधिररेपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत रकबा राज धोषित की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सिलिंग नियमों के तहत पारित किया गया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं होने व सिलिंग प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर, को प्राप्त होने के कारण पत्रावली संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। अपीलांट् समक्ष न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो। (रा[illegible]) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	